न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर।
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा, आर0ए0एस0

रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र सं0 : 04/2012

प्रार्थी

रूघाराम चौधरी पुत्र श्री नारायणराम चौधरी जाति जाट नि0 1–अ नारायण निवास खेगार नगर खेमें का कुआं, पाल रोड, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

1. भारतसंघ जरिये मुख्य सचिव रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली।
2. राजस्थान सरकार जरिये मुख्य शासन सचिव राजस्थान सरकार शासन सचिवालय, जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये प्रमुख शासन सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. सहायक रक्षा सम्पदा अधिकारी 3 सूर्या अपार्टमेन्ट, सर्किट हाउस रोड, जोधपुर।
5. मण्डल वन अधिकारी, जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम वास्ते मौजा जोधपुर के खसरा नं. 324 रकबा 104.15 बीघा को नामांतरकरण सं. 387 के जरिये रक्षा विभाग के नाम दर्ज किया गया को निरस्त करने बाबत।

– – –

उपस्थिति :

1. प्रार्थी श्री रूघाराम चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता – श्री रामप्रकाश चौधरी उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 5 की ओर से विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित।

:–: आदेश :–: **दिनांकः 31.07.2020**

प्रार्थी द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम वास्ते मौजा जोधपुर के खसरा नं. 324 रकबा 104.15 बीघा को नामांतरकरण सं. 387 के जरिये रक्षा विभाग के नाम दर्ज किया को निरस्त करने बाबत पेश किया है। यह प्रकरण सर्वप्रथम न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर के यहां दिनांक 15.10.2007 को प्रस्तुत किया गया था, तत्पश्चात इस न्यायालय में दिनांक 03.01.2012 को मुतकिल किया गया। यह प्रकरण प्राप्त होने पर इसे पंजीबद्ध किया गया। मूल प्रकरण संख्या 04/2012 का दिनांक 05.02.2014 को निर्णय किया गया लेकिन अपीलार्थी द्वारा रिव्यू

प्रार्थना–पत्र पेश किया गया, रिव्यू प्रार्थना–पत्र दिनांक 07.07.2015 को स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या 04/2012 में पारित निर्णय दिनांक 05.02.2014 को निरस्त किया जाकर प्रकरण को पुनः बहस में रखा गया। प्रकरण संख्या 04/2012 में प्रार्थी श्री रूघाराम चौधरी व अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अभिभाषक श्री रामप्रकाश चौधरी उपस्थित हुए और उनकी बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस शुरू करते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा जोधपुर के खसरा नं. 324 रकबा 104.15 बीघा भूमि रसाला रोड पर स्थित ग्रास फार्म (पौधशाला) उक्त पौधशाला मारवाड़ रियासत की जोधपुर स्थित सेना के लिए घास बिड़ों से काटकर संग्रह करने का कार्य जंगलात महकमा को बिड़ों से घास काट कर इकटठा करने हेतु दिया हुआ था, उक्त फार्म रियासत काल से जंगलात के अधीन था, जिसकी पुष्टि खसरा गिरदावरी संवत 2004–2009 से होती है। इस फार्म में एक पुरानी ईमारत बनी हुई है, इस ईमारत के नीचे घास का बेलिंग कर संग्रह किया जाता था।

प्रार्थी का यह भी कथन है कि जंगलात महकमा बिड़ों से घास काटकर रेल द्वारा जोधपुर लाया जाता था। रेल की पटरी आज भी मौजूद है। घास फार्म में संग्रहित कर रियासत की सेना के ट्रांसपोर्ट युनिट को आपूर्ति करते थे तथा रिसाला घोड़ों को सप्लाई करते थे। आजादी के बाद घोड़ों की फौज का विलय भारतीय फौज में हो गया। इस कारण घास इकट्ठा करने का कार्य बंद हो गया।

संग्रह कार्य बंद हो जाने तथा राजस्थान राज्य का गठन होकर जोधपुर वन मण्डल की स्थापना हुई। वन विभाग का कार्यालय तथा वन मण्डल अधिकारी इस ईमारत में निवास करते थे। इस ग्रास फार्म परिसर में वन पौधशाला की स्थापना 1955 में की गई, इसके बाद उक्त परिसर में सन 1978 में मण्डल वन अधिकारी का कार्यालय भी स्थापित हुआ, खसरा नं. 324 रकबा 104.15 बीघा राजस्व रेकर्ड में खालसा दर्ज है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि राजस्व रेकर्ड में रद्दोबदल किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से ही किया जा सकता है लेकिन खसरा नं. 324 रकबा 104.15 बीघा मिलिट्री के नाम दर्ज कर दिया गया। नामांतरकरण सं. 387 को किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं है केवल मात्र अमल दरामद कर दिया गया जो किसी भी न्यायालय/प्रशासनिक अधिकारी के बिना आदेश के अमल दरामद कर दिया गया जो विधि विरूद्ध है। उक्त नामांतरकरण निरस्त किया जावे। प्रार्थी ने अपनी निरन्तर बहस में कथन किया कि नामांतरकरण सं. 387 में खसरा नं. 324 रकबा 104.15 बीघा भूमि में रक्षा विभाग का नाम हटाकर जंगलात महकमा दर्ज किये जावें।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर को पक्षकार नहीं बनाया न ही प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त भूमि के संबंध में प्रार्थी का कोई हक नहीं बनता है उक्त भूमि सरकारी विभाग से रक्षा विभाग को प्रशासनिक आदेश से स्थानांतरित की गई है और इसका राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद भी किया जा चुका है। साथ ही प्रार्थी का इस भूमि में किसी प्रकार का कोई हित या संबंध नहीं है। खसरा नं. 324 बाबत विभिन्न न्यायालयों में विवाद भी चला और निर्णय रक्षा विभाग के पक्ष में हुआ। इस भूमि बाबत माननीय उच्च न्यायालय में डी0 बी0 रिट याचिका दिनांक 10.10.2006 को भी निरस्त कर दी गई। उक्त भूमि वन विभाग से रक्षा विभाग को सुपुर्द करने पर लगभग एक करोड़ से अधिक रूपये का भुगतान किया गया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भी अवलोकन किया। इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि मौजा जोधपुर के खसरा नं. 324 में प्रार्थी का कोई हित निहित नहीं है। प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में नामांतरकरण सं. 387 जो रक्षा विभाग के नाम दर्ज है उसे निरस्त कराने का अपना कोई उद्देश्य नहीं बताया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इस भूमि से सम्बन्धित डी0 बी0 रिट याचिका 5746/2006 अनवान रामप्रकाश प्रजापत बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में निर्णय दिनांक 10.10.2006 में बतलाया कि सैन्य अस्पताल का विस्तार सार्वजनिक हित में है और इसलिए हमें नहीं लगता कि इस मामले में हस्तक्षेप करना उचित होगा तथा रिट याचिका खारिज की गई।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2020.08.06 10:58:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: